+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

# TODAY'S ANALYSIS
# (आज का विश्लेषण)
## (04 January 2025)

### Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

## Important News:

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियमों के मसौदे में डेटा हैंडलिंग पर मजबूत नियंत्रण
- यूक्रेन के रास्ते यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति रोकी गई
- भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4)
- MCQ

# डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियमों के मसौदे में डेटा हैंडलिंग पर मजबूत नियंत्रण:

## चर्चा में क्यों है?

- भारत सरकार ने 3 जनवरी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के तहत मसौदा नियम जारी किए, जिसमें सीमा पार डेटा प्रवाह, बच्चों के डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सहमति और डेटा फिद्यूशियरी के लिए नए दायित्वों को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट प्रावधान पेश किए गए।
- उल्लेखनीय है कि ये मसौदा नियम, जो कि एक मजबूत डेटा शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, 18 फरवरी तक सार्वजनिक परामर्श के लिए खुले हैं।

## 'डेटा स्थानीयकरण' पर बल:

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के मसौदे का मुख्य बिंदु सीमा पार डेटा प्रवाह पर सरकार का नियंत्रण है। इन उपायों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों

के साथ संरेखित करते हुए संवेदनशील डेटा को विदेशों में संभावित शोषण से बचाना है।

- इसमें प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार व्यक्तिगत डेटा के प्रकार को निर्दिष्ट करेगी जिसे "महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्युसरी" द्वारा संसाधित किया जा सकता है, इस प्रतिबंध के अधीन कि इस तरह के व्यक्तिगत डेटा और इसके प्रवाह से संबंधित ट्रैफ़िक डेटा को भारत के क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा गठित एक समिति ऐसे डेटा का निर्धारण करेगी।
- उल्लेखनीय है कि डेटा फ़िड्युसरी वे कंपनियां और संस्थाएं हैं जो व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं और संसाधित करती हैं, "महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्युसरी" का निर्धारण उनके द्वारा संसाधित किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा की मात्रा और संवेदनशीलता और भारत की संप्रभुता और अखंडता, चुनावी लोकतंत्र, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर उनके द्वारा पड़ने वाले जोखिमों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॅन सहित सभी प्रमुख टेक कंपनियों को महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्युसरी के रूप में वर्गीकृत किए जाने की उम्मीद है।
- ध्यातव्य है कि डेटा स्थानीयकरण, जो कि बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या रही है, जिसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 से हटा दिया गया

था, इन मसौदा नियमों के तहत वापस आ गया। डेटा स्थानीयकरण उन उपायों से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप किसी क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर डेटा प्रवाह को प्रतिबंधित किया जाता है।

## स्वतंत्र 'डेटा सुरक्षा बोर्ड' की स्थापना:

- इस मसौदे में यह अनिवार्य किया गया है कि महत्वपूर्ण डेटा फिद्यूशियरी वार्षिक डेटा सुरक्षा प्रभाव आकलन करें और अपने निष्कर्षों को 'डेटा सुरक्षा बोर्ड', इस अधिनियम के तहत स्थापित एक नियामक निकाय को प्रस्तुत करें।
- यह बोर्ड, जो दूरस्थ सुनवाई के साथ डिजिटल रूप से काम करेगा, को उल्लंघनों की जांच करने, दंड लगाने और अनुपालन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। एक खोज और चयन समिति बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी, जिससे इसकी स्वतंत्रता और जवाबदेही मजबूत होगी।

## अवयस्कों के डेटा संसाधित से पूर्व माता-पिता की सहमति:

- इन मसौदा नियमों की एक खास विशेषता यह है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सहमति पर जोर दिया गया है। फिड्यूशियरी को सरकार द्वारा जारी पहचान या डिजिलॉकर जैसी पहचान

सेवाओं से जुड़े डिजिटल टोकन के माध्यम से ऐसी सहमति को सत्यापित करना होगा। शैक्षिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और बाल कल्याण संगठनों को परिचालन व्यवहार्यता के साथ विनियामक अनुपालन को संतुलित करते हुए कुछ प्रावधानों से छूट दी गई है।

- मसौदा समिति प्रबंधकों के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है, ऐसी संस्थाएँ जो व्यक्तियों को डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति देने या रद्द करने में सक्षम बनाती हैं। योग्य होने के लिए, इन प्रबंधकों को डेटा सुरक्षा बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और न्यूनतम 12 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति बनाए रखनी होगी। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अच्छी तरह से पूंजीकृत संस्थाएँ ही सहमति के प्रबंधन के संवेदनशील कार्य को संभालें।

## डेटा उल्लंघन के संदर्भ में डेटा फ़िड्युसरी का दायित्व:

- डेटा उल्लंघन की स्थिति में, डेटा फ़िड्युसरी को प्रभावित व्यक्तियों को "बिना देरी के" उल्लंघन का विवरण बताना होगा, जिसमें इसकी प्रकृति, सीमा और इसके होने का समय और स्थान शामिल है; और अन्य बातों के अलावा जोखिम को कम करने के लिए लागू किए गए और लागू किए जा रहे उपाय।

- इन नियमों में प्रस्ताव दिया गया है कि डेटा फ़िड्युसरी को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय भी लागू करने होंगे, जिसमें एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, अनधिकृत पहुँच की निगरानी और डेटा बैकअप शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय न कर पाने डेटा फ़िड्युसरी पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

## डेटा फ़िड्युशियरी की डेटा प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायित्व:

- इन मसौदा नियमों में यह भी आवश्यक है कि डेटा फ़िड्युशियरी को डेटा प्रिंसिपल (जिनका डेटा है) को उनके डेटा को प्रोसेस करने से पहले एक स्पष्ट, स्वतंत्र और समझने योग्य नोटिस देना होगा। विशेष रूप से, नोटिस में एकत्रित किए जा रहे व्यक्तिगत डेटा की मदवार सूची और प्रोसेसिंग के उद्देश्य का स्पष्ट विवरण शामिल होना चाहिए, साथ ही ऐसी प्रोसेसिंग द्वारा सक्षम वस्तुओं, सेवाओं या उपयोगों का मदवार विवरण भी शामिल होना चाहिए।
- डेटा मिटाने के मानदंडों को भी स्पष्ट किया गया है। तीन साल की अवधि के बाद फिड्यूशियरी को ऐसे व्यक्तिगत डेटा को मिटाना आवश्यक है जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐसे डेटा को मिटाने से 48 घंटे पहले व्यक्तियों को

सूचित करना चाहिए, ताकि यदि आवश्यक हो तो उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल सके। यह प्रावधान उपयोगकर्ता नियंत्रण के साथ डेटा न्यूनीकरण को संतुलित करता है।

## इस मसौदा नियमों से जुड़ी कुछ चुनौतियां:

- इन नियमों का उद्देश्य डेटा सुरक्षा को मजबूत करना है, लेकिन वे सरकार को संप्रभुता, अखंडता और राज्य सुरक्षा के हित में व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां भी प्रदान करते हैं। इससे पारदर्शिता और निगरानी के बारे में बहस छिड़ सकती है।
- सीमा पार डेटा हस्तांतरण पर प्रावधान, जो सरकार को सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से अतिरिक्त आवश्यकताओं को लागू करने की अनुमति देता है, भी करीब से जांच के लायक है। बहस उत्पन्न करने की संभावना वाला एक और क्षेत्र बच्चों के डेटा के लिए माता-पिता की सहमति को सत्यापित करने की प्रक्रिया है।

# यूक्रेन के रास्ते यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति रोकी गई:

## चर्चा में क्यों है?

- 40 वर्षों से अधिक समय से यूक्रेन के माध्यम से यूरोप को भेजी जा रही रूसी गैस की आपूर्ति 1 जनवरी 2025 से बंद हो गई, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के साथ पांच साल पुराने पारगमन समझौते पर फिर से बातचीत करने से इनकार कर दिया।
- ऐसे में इस बात पर नजर डालनी आवश्यक है कि आपूर्ति क्यों रुकी है, इससे कौन से यूरोपीय देश प्रभावित होंगे, तथा क्या यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से रुक गई है, आदि।

## यूक्रेन होकर यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति क्यों रोक दी गई है?

- यूक्रेन-रूस के मध्य चल रहे युद्ध के बावजूद, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने 19 दिसंबर को कहा कि अगर रूस को गैस का भुगतान तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि लड़ाई बंद नहीं हो जाती, तो यूक्रेन गैस के प्रवाह की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसा उपाय संभव नहीं

है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि इस सौदे को नवीनीकृत करने में बहुत देर हो चुकी है।

- परिणामस्वरूप, यह समझौता, जिस पर 2020 में हस्ताक्षर हुए थे और जो पांच वर्षों के लिए लागू था, बढ़ाया नहीं गया। 1 जनवरी को रूसी ऊर्जा दिग्गज गैज़प्रोम ने घोषणा की कि सुबह 8 बजे यूरोप को गैस की आपूर्ति रोक दी गई है।

## इससे कौन से यूरोपीय देश प्रभावित होंगे?

- इसका सबसे बड़ा खामियाजा पूर्वी यूरोपीय देशों को भुगतना पड़ेगा - मुख्यतः ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और मोल्दोवा।
- ऑस्ट्रिया को अपनी अधिकांश गैस यूक्रेन के माध्यम से रूस से प्राप्त हो रही थी, जबकि स्लोवाकिया को अपनी वार्षिक मांग का लगभग दो-तिहाई गैस मिल रहा था।
- स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप पूरे यूरोप में गैस की कीमतें बढ़ेंगी।
- मोल्दोवा के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। उसने आसन्न गैस की कमी के कारण पहले ही आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

## यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति क्या अब पूरी तरह से बंद हो गई है?

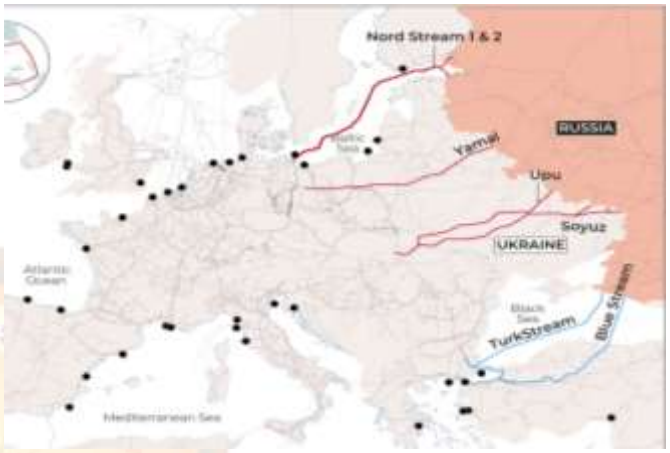


- उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी को रोकी गई गैस आपूर्ति सोवियत युग की 'उरेंगॉय-पोमरी-उज़गोरोड' पाइपलाइन के ज़रिए होती थी।
- यह रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सुदा शहर के माध्यम से साइबेरिया से गैस ले आती थी। यह पाइपलाइन यूक्रेन से स्लोवाकिया तक जाती है जहां पाइपलाइन चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया जाने वाली शाखाओं में विभाजित हो जाती है।
- हालांकि, रूस अभी भी गैस निर्यात करने के लिए काला सागर होकर जाने वाली तुर्कस्ट्रीम पाइपलाइन का उपयोग कर रहा है। इस पाइपलाइन की दो लाइनें हैं, एक तुर्किये में घरेलू बाजार को आपूर्ति करती है, जबकि दूसरी हंगरी और सर्बिया सहित मध्य यूरोपीय ग्राहकों को आपूर्ति करती है।
- उल्लेखनीय है कि फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से पहले, यूरोपीय गैस आयात में रूस की हिस्सेदारी 35% थी। लेकिन बाद के महीनों में, बेलारूस के

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

माध्यम से यमल-यूरोप पाइपलाइन और बाल्टिक सागर के नीचे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जैसी पाइपलाइनें जो जर्मनी को गैस भेजती थीं, बंद कर दी गईं। वर्तमान में यूरोपीय गैस आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्र 8% है।

# भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4):

## चर्चा में क्यों है?

- अपनी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में, भारत ने हाल ही में अपनी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) सूची और उत्सर्जन को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण देते हुए अपनी नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता, जो इसकी आर्थिक गतिविधियों की ऊर्जा दक्षता को दर्शाती है, 2005 और 2020 के बीच 36% कम हो गई है। रिपोर्ट में उत्सर्जन के स्रोतों और जलवायु कार्रवाई पर लक्ष्यों की स्थिति का भी विस्तृत विवरण दिया गया है।

## द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR) क्या होती है?

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत, विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के प्रति अपने प्रयासों पर एक विस्तृत रिपोर्ट

प्रस्तुत करना होता है। पेरिस संधि के तहत दायित्वों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को 'द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट या BUR' कहा जाता है।

- BUR में महत्वपूर्ण प्रस्तुतियाँ में जलवायु, सामाजिक-आर्थिक कारकों और वानिकी के साथ-साथ देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों का अवलोकन, साथ ही राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, उनके स्रोतों और प्राकृतिक सिंक की विस्तृत सूची शामिल होती हैं।
- इसमें उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं, उन कार्यों को मापने के तरीकों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश को प्राप्त वित्तीय, तकनीकी और क्षमता-निर्माण समर्थन की जानकारी पर महत्वपूर्ण अपडेट भी शामिल होता हैं।

## उत्सर्जन सूची पर BUR-4 की प्रमुख बातें क्या हैं?

- भारत की BUR-4 30 दिसंबर को UNFCCC को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय GHG सूची शामिल है, और प्रस्तुत किया गया है कि भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है।

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के हिस्से के रूप में, भारत ने 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। BUR-4 ने प्रस्तुत किया है कि 2005 और 2020 के बीच, भारत की सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है।
- BUR-4 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 2020 में, भारत का कुल GHG उत्सर्जन 2,959 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के बराबर था। वानिकी क्षेत्र और भूमि संसाधनों द्वारा अवशोषण की गणना करने के बाद, देश का शुद्ध उत्सर्जन 2,437 मिलियन टन CO2 समतुल्य था। कुल राष्ट्रीय उत्सर्जन (भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी सहित) 2019 की तुलना में 7.93% गिर गया, हालांकि BUR-4 के अनुसार, 1994 से इसमें 98.34% की वृद्धि हुई है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल GHG उत्सर्जन में मुख्य योगदानकर्ता जीवाश्म ईंधन को जलाने से उत्पन्न CO2, पशुधन से मीथेन उत्सर्जन और एल्यूमीनियम और सीमेंट उत्पादन में वृद्धि है। कुल GHG उत्सर्जन के आंकड़ों में CO2 का योगदान 80.53% है, इसके बाद मीथेन (13.32%), नाइट्रस ऑक्साइड (5.13%) और अन्य 1.02% हैं।

- इस GHG उत्सर्जन में क्षेत्रीय योगदान के घटकों में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे अधिक 75.66% योगदान था। कृषि क्षेत्र ने 13.72% उत्सर्जन में योगदान दिया जबकि औद्योगिक प्रक्रिया एवं उत्पाद उपयोग और अपशिष्ट क्षेत्र ने क्रमशः 8.06% और 2.56% का योगदान दिया। ऊर्जा क्षेत्र में, अकेले बिजली उत्पादन ने 39% उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदारी निभाई।

## भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के बारे में BUR-4 क्या कहता है?

- अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में, भारत ने अगस्त 2022 में अपने NDC को अपडेट किया। NDC अपडेट से पहले, 2021 में, भारत ने 2070 तक 'नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रल' तक पहुंचने का भी संकल्प लिया था।
- **NDC लक्ष्यों के संबंध में भारत की उपलब्धियां:**

  ➢ भारत ने GHG उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करना जारी रखा है। 2005 और 2020 के बीच, भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है।

- अक्टूबर 2024 तक, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52% थी। बड़े जलविद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 203.22 GW है।
- भारत का वन और वृक्ष आवरण लगातार बढ़ा है और वर्तमान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। भारत ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की भी प्रतिबद्धता जताई है। 2005 से 2021 के दौरान 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है।

- इस रिपोर्ट में 'प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT)' योजना, का उपयोग करके उत्सर्जन में कमी लाने की भी बात की गई है, जिसे 2011 में ऊर्जा की खपत को कम करने और औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- 2012 से PAT योजना ने सीमेंट उद्योग में 3.35 Mtoe (मिलियन टन तेल के बराबर) की संचयी ऊर्जा बचत की है, लोहा और इस्पात उद्योग में 6.14 Mtoe, एल्यूमीनियम उद्योग में 2.13 Mtoe, कपड़ा उद्योग में 0.33 Mtoe, कागज और लुगदी उद्योग में 0.63 Mtoe। ताप विद्युत क्षेत्र में, PAT योजना से 7.72 Mtoe

ऊर्जा की बचत हुई है तथा 2021-2022 तक 28.74 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन को रोका गया है।

## जलवायु अनुकूल विकास के लिए भारत की तकनीकी जरूरतें:

- भारत जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित है, इसलिए उसे कम कार्बन विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता है।
- BUR-4 में भारत ने कहा है कि वह काफी हद तक घरेलू संसाधनों पर निर्भर है और धीमी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी बाधाएं प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा डाल रही हैं। सभी क्षेत्रों में, इसने उन प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला जिनकी देश को आवश्यकता है।
- ऊर्जा क्षेत्र के कुछ उदाहरणों में अल्ट्रा-कुशल फोटोवोल्टिक सेल, उन्नत फोटोवोल्टिक सेल, फ्लोटिंग विंड टर्बाइन और भूतापीय प्रौद्योगिकी शामिल है।
- औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट, लोहा और इस्पात जैसे कठिन क्षेत्रों के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण क्षेत्र पर प्रकाश डाला। जल क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा संचालित विलवणीकरण तकनीक शुष्क क्षेत्रों में मदद कर सकती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

# MCQs

1. चर्चा में रहे 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025' के मसौदे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस मसौदे का मुख्य बिंदु सीमा पार डेटा प्रवाह पर सरकार का नियंत्रण है।
2. इन उपायों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ संरेखित करते हुए संवेदनशील डेटा को विदेशों में संभावित शोषण से बचाना है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**Ans:(c)**

2. चर्चा में रहे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत 'डेटा फ़िड्युसरी' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) डेटा फ़िड्युसरी वे कंपनियां और संस्थाएं हैं जो व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं और संसाधित करती हैं।

(b) इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय के लिए इन पर दायित्व डाला गया है।

(c) डेटा फ़िड्युशियरी के लिए डेटा प्रिंसिपल के डेटा को प्रोसेस करने से पहले एक स्पष्ट, स्वतंत्र और समझने योग्य नोटिस देना आवश्यक बनता है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

**Ans:(d)**

3. चर्चा में रहे रूस से यूरोपीय को गैस आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. रूस-यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से पहले, यूरोपीय गैस आयात में रूस की हिस्सेदारी 35% थी।
2. हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से वर्तमान रूस से यूरोपीय को गैस आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गयी है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

**Ans:(a)**

4. चर्चा में रहे NDC लक्ष्यों के संबंध में भारत की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 2005 और 2020 के बीच, GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी आई है।

(b) स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52% है।

(c) 2005 से 2021 के दौरान 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

**Ans:(b)**

5. चर्चा में रहे 'द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. UNFCCC के तहत, विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के प्रति अपने प्रयासों पर यह विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है।
2. भारत ने 30 दिसंबर को अपनी प्रथम 'द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट' UNFCCC के समक्ष प्रस्तुत की है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**Ans:(a)**